न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/206
दायरा तिथि : 02.08.2024
आदेश तिथि : 09-10-2024
प्रार्थी :-

श्रीमती छैलकंवर पत्नि चन्दनसिंह जाति राजपूत, निवासी बेडा तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 09-10-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा–1 पटवार हल्का बेडा तहसील बाली के खसरा नंबर 2902/82 रकबा 0.8388 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा–1 पटवार हल्का बेडा तहसील बाली के खसरा नंबर 78 रकबा 13.2100 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे नीले रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/'03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक; बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1442 दिनांक 27.08.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि आवेदक (खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार उपरोक्त खातेदारी खसरा नंबर में आवागमन हेतु वर्तमान में प्रस्तावित खसरों से ही आना जाना करता है। चूंकि खसरा नंबर 78 की किस्म गै.मु. मगरा है, लेकिन जहा से रास्ता दिया जाना है, उक्त भूमि समतल व रास्ता निकालने योग्य है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है, लेकिन उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 78 को दो भागों में विभाजित करता है।
3. यह है कि ग्राम बेडा–1 में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	78	13.2100 हैक्टर	गै.मु. मगरा	277X9=2493 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह कि भू.अ. निरीक्षक बेडा की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय अनुसार डी.एल.सी. दर 6,72,678 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

अन्य विकल्प :-

1. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से उपरोक्त वर्णित रास्ते के बाद न्यूनतम दूरी का ही है।
2. यह है कि ग्राम बेडा–1 कें अन्य विकल्प हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	78	13.2100 हैक्टर	गै.मु. मगरा	296X9=2664 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/286

अनवान छैल कवंर बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह कि भू.अ. निरीक्षक बेडा की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय अनुसार डी.एल.सी. दर 6,72,678 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा–1 पटवार हल्का बेडा तहसील बाली के खसरा नंबर 2902/82 रकबा 0.8388 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1442 दिनांक 27.08.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते से सिवायचक भूमि पृथक–पृथक भाग में विभक्त हो रही है। अतः प्रार्थी को रास्ता मध्य से नहीं दिया जाकर किनारे से दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा–1 पटवार हल्का बेडा तहसील बाली के खसरा नंबर 2902/82 रकबा 0.8388 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम बेडा–1 पटवार हल्का बेडा तहसील बाली के खसरा नंबर 78 रकबा 13.2100 हैक्टर में से **2664 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।**
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राषि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 6,72,678 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
78	13.2100 हैक्टर	296X9=2664 वर्गमीटर	68	1,81,152X2= 3,62,304	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 362304/– (अक्षरे तीन लाख बासठ हजार तीन सौ चार रूपये मात्र) रूपयें आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2024/2109-2113
दिनांक : 09-10-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्रीमती छेलकंवर पत्नि चन्दनसिंह जाति राजपूत, निवासी बेडा तहसील बाली, जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : पाली

री हल्का : बेडा I

तहसील : बाली

ग्राम : बेडा I

दिनांक : 10/08/2024 01:33:42 PM

भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

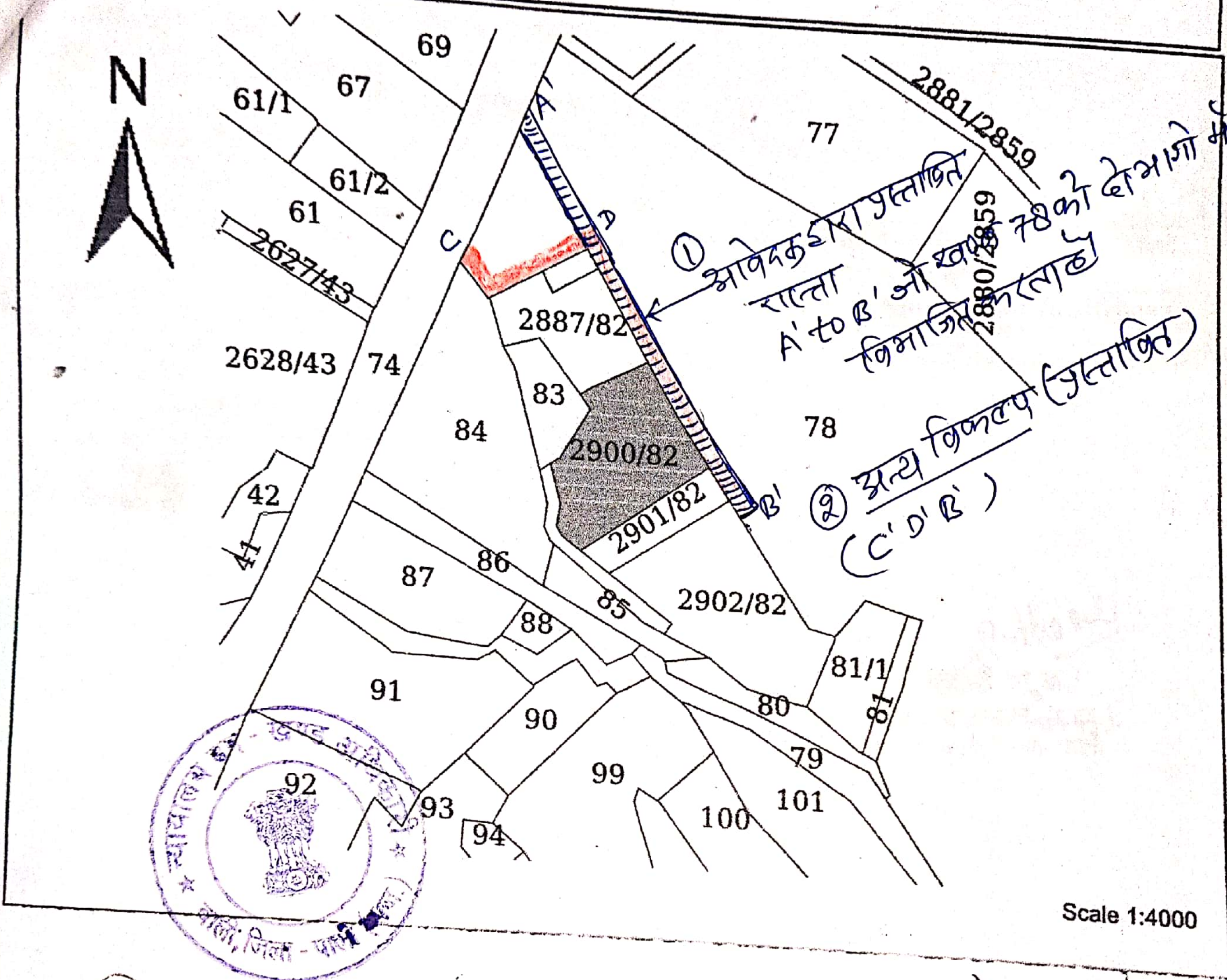

Ex-Court

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

तहसीलदार, बाली

पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल...
तह.बाली, जिला-पाली

Scanned with CamScanner